* सर्वोच्च / उच्चतम न्यायालय *

अनुच्छेद – 124

* इसका गठन (अमेरिका) भारत शासन अधिनियम 1935 के अंर्गत 1 अक्टूबर 1937 को इंडियन फ़ेडरल कोर्ट के नाम से बना था।
* 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया।
* इसमे मूल रूप से 1+7 = 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था।
* वर्तमान में इसमे (2009) 1+30 = 31 न्यायाधीश है। (2019 – 10% वृद्धि) (33+1=34 है)।
* नियुक्ति (अनुच्छेद – 124) → (कॉलेजियम द्वारा) इसके मुख्य व अन्य न्यायाधीशो की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है।
* कॉलेजियम व्यवस्था → यह सर्वोच्च न्यायालय के 1 मुख्य व 4 अन्य न्यायाधीशो की समिति है। जो कि सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का निर्णय लेती है। इसी के आधार पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देता है।
* 99 वाँ संशोधन 2014 → इसके द्वारा कॉलेजियम (1993) व्यवस्था को समाप्त करके "राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति

Art 126 → कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
Art 127 → तदर्थ न्यायाधीश / Adhoc
Art 128 → सेवानिवृत न्यायाधीश की नियुक्ति

130 → सुप्रीम कोर्ट Delhi - प्र० - राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अन्य प्र०
348 → Supreme Court की भाषा (अंग्रेजी) Hight

आयोग" के गठन का प्रावधान न्यायाधीशों की नियुक्ति की सलाह देने के लिए किया गया था। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।

* योग्यताएं → (अनुच्छेद - 124)

1. वह लगातार 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो अथवा लगातार 10 वर्ष तक सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। अथवा वह राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत एवं प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।

2. न्यूनतम आयु सीमा निश्चित नहीं है।

* कार्यकाल (अनुच्छेद (124) → इसके मुख्य वह अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की आयु होता है।

* त्यागपत्र → राष्ट्रपति को देते है।

* शपथ → राष्ट्रपति दिलाता है।

* पद से हटाने की प्रक्रिया → (124(4)) LS → 100, RS → 50 अक्षमता
इनको पद से सिद्ध कदाचार / असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा पारित "महाभियोग" की प्रक्रिया से हटाया जाता है।

* वेतन / भत्ते (अनुच्छेद - 125) → इनको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन - 2,80,000 व अन्यों का 2,50,000 है।

47 वें प्रधान न्यायाधीश – सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े [रंजन गोगोई के स्थान पर] कार्यकाल – [18-11-2019 – 23 अप्रैल 2021 तक]

मीरा साहिब फातिमा बीबी – पहली महिला जज (मुख्य हिजन

* महत्वपूर्ण तथ्य →

1. सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम संरक्षक / अभिभावक है
2. इसके द्वारा दिये गये निर्णय न्यायिक कानून कहलाते है
3. V रामास्वामी इसके एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है जिन पर महाभियोग लाया गया था परन्तु इन्होंने त्यागपत्र दे दिया

4. इसके मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था परन्तु इसे राज्य सभापति ने अस्वीकार कर दिया।

5. प्रथम मुख्य न्यायाधीश – H J कीनिया
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश – ~~रंजन गोगोई~~ शरद अरविंद बोबड़े

* सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ / क्षेत्राधिकार →

1. प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार (मूल क्षेत्राधिकार) (अनुच्छेद – 131) → जिन मामलों की सुनवाई का प्रारंभ सीधे सर्वोच्च न्यायालय से होता है वे इसके अंतर्गत आते है
जैसे → 1. केन्द्र राज्य विवाद
2. राज्य – राज्य विवाद
3. मूल अधिकार विवाद

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद – 132) (136 तक) → इसके अंतर्गत ये उच्च न्यायालयों के निर्णयों की अपील सुनता है। दीवानी, फौजदारी, संविधान की व्याख्या / S.C

3. (अमेरिका) न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद – 13, 32, 137, 246 व 368) → इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संसद के द्वारा बनाये गये

Art 136 → विशेष याचिका

न्यायिक पुनरावलोकन का स्रोत → अमेरिका, न्यायाधीश मार्शल ने 1803 - मारबरी बनाम मेडीसन विवाद मे
228, 132 → दोनो न्यायालयो को संविधान की व्याख्या की शक्ति
अनु 129 → अभिलेख न्यायालय
प्रथम जनहित याचिका स्वीकार की गई → 1979

कानूनों तथा कार्यपालिका के द्वारा दिये गये आदेशों की समीक्षा या अवलोकन कर सकता है तथा संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध होने पर इन्हें समाप्त भी कर सकता है।

4. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद - 143) → इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा मांगने पर उसे कानूनी सलाह दे सकता है। मांगने पर सलाह देना या न देना न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है तथा दि गई सलाह को मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, बाध्यकारी नहीं है।

* राज्यों का शासन *
(भाग-6, अनुच्छेद 152 - 237)

राज्यो का शासन

- 1. राज्य कार्यपालिका
  - 1. स्थायी कार्यपालिका
  - 2. अस्थायी कार्यपालिका
    - 1. नाममात्र की कार्यपालिका → राज्यपाल
    - 2. वास्तविक कार्यपालिका → मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद
- 2. राज्य व्यवस्थापिका/विधायिका (राज्य विधानमण्डल)
  - राज्यपाल
  - दो सदन
    - 1. विधानपरिषद (ऐच्छिक सदन)
    - 2. विधानसभा
- 3. न्यायपालिका
  - ↓ उच्च न्यायालय
  - ↓ जिला व सत्र न्यायालय
    - 1. दीवानी न्यायालय
    - 2. फौजदारी न्यायालय
    - 3. फास्ट ट्रैक न्यायालय (अधीनस्थ) (अपील नहीं होती)

अनु 226 - उच्च न्यायालयो की पुनरावलोकन शक्ति

1. राज्यपाल (अनुच्छेद - 153) →

* अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा।
* अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तिया राज्यपाल में निहित होगी।
* यह राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है।
* यह राज्य कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान होता है।
* यह राज्य का प्रथम नागरिक होता है।
* राज्य का शासन इसी के नाम से चलाया जाता है।
* यह राज्य कार्यपालिका का नाममात्र का कार्यकारी प्रधान होता है।
* इसकी शक्तियो का वास्तविक रूप में प्रयोग मुख्यमंत्री एंव उसकी मंत्रीपरिषद् के किया जाता है।

* राज्यपाल की नियुक्ति (अनुच्छेद - 155) → प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह भी लेता है।

* कार्यकाल (अनुच्छेद - 156) → राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त। 5 वर्ष का होता है।

* त्यागपत्र → राष्ट्रपति को देता है।

* योग्यता (अनुच्छेद 157) →

1. 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो।
2. उस राज्य का निवासी नहीं हो।

* अनुच्छेद (158) → एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यो का

* राज्य में 52 वर्षों में पहली बार किसी (कल्याणसिंह) ने पूरा किया अपना कार्यकाल
राजस्थान में राज्यपाल का पद 1 नवम्बर 1956 से सृजित किया गया।

राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

* शपथ (अनुच्छेद 159) → उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।

* महत्वपूर्ण तथ्य →

* राज्यपाल की मृत्यु हो जाने, पद से हटा दिये जाने की स्थिति में उसके पद पर कार्य करने के लिए अन्य राज्य के राज्यपाल को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है।
* यदि एक व्यक्ति दो राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य करता है तो उसके वेतन भत्तों को राज्यों में समान रूप से बांट दिया जाता है।
* राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से प्राप्त होता है।
* वर्तमान में वेतन – 3,50,000 रुपये है।
* राज्य के प्रथम राज्यपाल – गुरुमुख निहालसिंह थे।
* वर्तमान राज्यपाल – ~~कल्याण सिंह~~ है। कलराज मिश्र नवीन (9 सितम्बर 2019) से पावें राज्यपाल

* राज्यपाल की शक्तियाँ →

1. कार्यपालिका शक्तियाँ →

* राज्य कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है।
* राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य कार्यपालिका की शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग राज्यपाल करता है।
* राज्यपाल राज्य में केन्द्रसरकार का एजेंट/अभिकर्ता

आरिफ मोहम्मद केरल के राज्यपाल नियुक्त

होता है तथा राज्य के शासन, प्रशासन एवं विधायी कार्यों की सूचना केन्द्र सरकार को देता रहता है।

* राज्य के सभी प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
* राज्य के सभी प्रमुख आयोगों का गठन तथा उनके अध्यक्ष व सदस्यों का नियुक्ति राज्यपाल करता है।
* राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है तथा उनके कुलपतियों की नियुक्ति करता है।

2. विधायी या विधि निर्माण की शक्तियाँ →

* अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल राज्यविधानमण्डल का सत्र (अधिवेशन) बुलाता है तथा प्रथम सत्र में अपना अभिभाषण देता है तथा सत्र का सत्रावसान भी कर सकता है।
* राज्य के अभिभाषण को राज्यमंत्रिमण्डल तैयार करता है।
* अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भंग कर सकता है।
* राज्य विधानमण्डल के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही कानून बनते है।
* राज्य में धन, वित्त एवं विनियोग विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किये जाते है तथा यह इन पर अनुमति देने से रोक नहीं सकता है।
* राज्यपाल विधानमण्डल के द्वारा पारित विधेयक को 2 बार छोड़ा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है परन्तु विधेयक दुबारा से पारित होकर आ जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते है।
* अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तथा अनुच्छेद 201 के अंतर्गत

वह इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है फिर इस विधेयक पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ही करता है

* अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है जिसके अंतर्गत वह राज्य विधानमण्डल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश जारी करके सीधे कानून बना सकता है

* अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है तथा विधान-मण्डल का सत्र शुरू होने पर उसमें प्रस्तुत किया जाता है। और यदि 6 सप्ताह में पारित नहीं होता है तो स्वत: समाप्त हो जाता है।

3 न्यायिक या समाधान की शक्ति (अनुच्छेद - 161) →

* राज्यपाल दयायाचना के आधार पर राज्य कार्यपालिका की शक्ति की सीमा के अंतर्गत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम / निलंबित / परिवर्तित / माफ कर सकता है परन्तु मृत्युदण्ड की सजा को कम / माफ नहीं कर सकता है।

4. स्वविवेकीय शक्तियाँ (अनु - 163) →

राज्यपाल एक मात्र ऐसा पदाधिकारी है जिसे निम्न स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त है →

1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना
2. विधानसभा को भंग करना
3. राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना
4. विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना
5. मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति देना।